

## ESTIMATES COMMITTEE

THIRTEENTH, FOURTEENTH AND EIGHTEENTH  
REPORTS AND MINUTES

SHRI PILOO MODY (Godhra) : I beg to present the following Reports and Minutes of the Estimates Committee :—

- (1) (i) Thirteenth Report on the Ministry of Health and Family Planning (Department of Family Planning)—Family Planning Programme.
- (ii) Minutes of the sittings of the Committee relating to the above Report
- (2) (i) Fourteenth Report on the Ministry of Foreign Trade — Export Promotion Measures, Commercial Publicity, Exhibitions and Trade Fairs.
- (ii) Minutes of the sittings of the Committee relating to the above Report.
- (3) Lighteenth Report on the Ministry of Foreign Trade—Fta Board
- (ii) Minutes of the sittings of the Committee relating to the above Report

## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

TWENTY-FIFTH, FORTYSEVENTH AND FORTY-  
EIGHTH REPORTS

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee :—

- (1) Twenty fifth Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Hundred and Seventeenth Report (Fourth Lok Sabha) relating to Direct Taxes
- 2) Forty-seventh Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Hundred and Sixteenth Report (Fourth Lok Sabha) on Appropriation Accounts (Railways), 1967-68 and Audit Report (Railways), 1969.
- (3) Forty-eighth Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Hundred and Twentieth Report (Fourth Lok Sabha) relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

12 26 hrs.

## DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

## MINISTRY OF DEFENCE—Contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting of the Demands for Grants relating to the Ministry of Defence. Shri Chhotey Lal was on his legs. He may continue his speech.

श्री छोटे लाल (चैल) : अध्यक्ष महोदय, मैं चेंबर को घन्यवाद देता हूँ जो मुझे यहाँ पर बोलने का समय दिया। मैं कल यहाँ पर अपने विचार उन लोगों के लिए व्यक्त कर रहा था जो कैंटूनमेंट बोर्ड के अन्तर्गत कन्जर्वेंसी स्वीपर्स के रूप में काम करते हैं। उनकी हालत यह है कि 30 माल की सर्विस के बाद जब उनको बैठा दिया जाता है तो उनके लिए किसी कम्पेन्सेशन की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि उनकी सर्विस रन्डीशनज की ओर अन्य तर्जुमारियों की तरह ध्यान दिया जाय, जिस तरह से आपने अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सर्विस कन्डीशनज बनाई है, उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। पेन्शन की रिपोर्ट जो विचाराधीन है या जो आनेवाली है, मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब से आग्रह करूँगा कि इन कन्जर्वेंसी स्टाफ का मामला भी पेन्शन को रेफर कर दिया जाय ताकि वे इनके बारे में भी अपनी रिपोर्ट दें।

मैंने यह भी जिक्र किया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से मिलिट्री की कृषि योग्य जमीन ऐसे लोगों को दी जाती है, जिनके पास पहले से ही बेती की काफी जमीन होती है। इलाहाबाद में मिलिट्री एस्टेट की काफी जमीन है, वह जमीन ऐसे लोगों को दी गई है जिनके पास सैकड़ों बोधे जमीन पहले से थी। वे भूमिहीन बन कर झूठा सर्टिफिकेट ले आते हैं। स्वाभाविक है कि परिवार से जमीन केवल एक आदमी के नाम होती है, वे उस परिवार के दूसरे सदस्य पटवारी से झूठा सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि उनके नाम कोई जमीन नहीं है और उनको जमीन एलाट हो जाती है। मिलिट्री